BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक 24 अगस्त 2023 | थाना कोतवाली नगर

फर्जी दस्तावेज बनवाकर बुलन्दशहर में रह रहा एक बंगलादेशी नागरिक गिरफ्तार, कब्जें से 01 वोटर आईडी कार्ड, 01 ड्राईविंग लाईसेंस व 07 अलग-अलग बैंक की पासबुक बरामद।

अवगत कराना हैं कि दिनांक 23-08-2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक सूचना के आधर पर मूल रुप से बंगलादेश के निवासी एक व्यक्ति को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत धमैडा अड्डे के पास मुस्तफागढी में एक मकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअंस-756/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- ईदरीश बर्नी पुत्र मुमताजउद्दीन उर्फ रफीक अहमद निवासी ग्राम दाक्खिन थाना उत्तरा जनपद टुंगी बंगलादेश । (हाल पता- मौ0 मुस्तफागढी धमैडा अड्डा थाना कोतवाली नगर)

बरामदगी-

1. 01 वोटर आईडी कार्ड
2. 01 ड्राईविंग लाईसेंस
3. 07 अलग-अलग बैंक की पासबुक

उल्लेखनीय हैं कि थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो मूल रुप से बंगलादेश का रहने वाला हैं तथा इस पर विदेशी अधिनियम के तहत पूर्व के अभियोग भी पंजीकृत हैं यह एक पासपोर्ट बनवाकर यहां से बाहर जाने का प्रयास कर रहा था। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस व LIU पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गयी तो इसके पास से 03 अलग-अलग आई कार्ड मिले जिनमें 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड व 01 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ। जिससे स्पष्ट हैं कि वोटर आईडी कार्ड केवल भारतीय नागरिक ही बनवा सकते हैं। ये एक बंगलादेशी नागरिक हैं जिसे बुलन्दशहर पुलिस द्वारा पूर्व में शासन के आदेश पर दो बार बंगलादेश वापस छोडा गया तथा तीसरी बार गिरफ्तार होने पर ये कोर्ट गया तथा इस प्रकरण में इसे कोर्ट से स्टे मिला। उसके बाद इसके द्वारा यहां बुलन्दशहर में रहने के दौरान अपनी पहचान छुपाते हुए फर्जी कुटरचित दस्तावेज तैयार कर भारत का वोटर आई कार्ड बनवाया गया जो कि विधि विरुद्ध हैं तथा इसके अन्य सभी लिंक/बैंकों के लेनदेन के सम्बन्ध में गहनता से जांच की जा रही हैं तथा अन्य जांच एजेंसियों को भी सूचित किया गया हैं उनके द्वारा भी इससे पूछताछ की जा रही हैं।

अभियुक्त ईदरीश का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-298/95 धारा 14 विदेश अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-134/96 धारा 14 विदेश अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअंस-295/2003 धारा 14 विदेश अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअंस-260/13 धारा 376,511 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअंस-211/14 धारा 3(1) यूपी गुंडा एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअंस-756/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक श्री विरेन्द्र सिंह, थाना कोतवाली नगर
2. उ0नि0 विजयप्रकाश, उ0नि0 दिनेश कुमार
3. का0 मन्दीप, म0का0 रजनी

मीडिया सैल बुलन्दशहर